न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/651/2004/श्रीगंगानगर

1– मु0 जमना बेवा मंशाराम
2– पृथ्वीराज पुत्र मंशाराम
समस्त जाति नायक निवासी 5 एपी हरदास वाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अपीलार्थी

बनाम

1– केसाराम)पुत्रान घेरूराम नायक निवासी हरदासवाली
2– लिखमाराम)तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3– राजस्थान सरकार।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री अभिषेक छाबड़ा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 ब्रीफ होल्डर।

–

निर्णय

दिनांकः 18–03–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा अपील सं0 73/2003 बउनवानी मु0 जमना बनाम केसराराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2004 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में एक दावा अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत वाद पेश किया तथा निवेदन किया कि पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप रहन स्वतः ही समाप्त हों चुका है, ऐसी स्थिति में वादीगण, प्रतिवादीगण से कब्जा

प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है, अतः प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावें। उक्त वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वाद बिन्दुओं का अस्वीकार किया तथा वाद खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दावे जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 9 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–08–2003 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि वाकै चक 5 ए पी प0न0 14/43 के किला नं0 3 ता 8/6–00, 13–14/2–00, 16–17/2–00, 25/1–00 कुल 11 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित कर, प्रतिवादी को भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाए जाने के आदेश प्रदान किए। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उनका तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि को प्रत्यर्थी से दिनांक 15–05–82 को जरिये इकरारनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं अपीलार्थी का कब्जा वर्ष 1982 से लगातार चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में वह एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलार्थी विवादित भूमि के खातेदार हो चुके है। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्यर्थीगण का दावा मियाद बाहर था तथा प्रत्यर्थीगण ने पूर्व में एक दावा 116/95 पेश किया था, जिस पर दिनांक 11–01–91 को पारित किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत पश्चावतवर्ती वाद चलने योग्य नहीं था, क्योंकि प्रत्यर्थी का पूर्व वाद खारिज हो चुका था तथा अपीलार्थी द्वारा इकरारनामे को साबित किया गया एवं

उसका कब्जा वर्ष 1982 से चला आना पूर्णतया साबित था इसके बावजूद वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है व सरसरी तौर पर पारित किए गए है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किए जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही अपने निर्णय प्रदान किए है। पूर्व दावा अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था। गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुआ था। अतः आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 या रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचन व विश्लेषण करते हुए वाद को अन्दर मियाद माना है तथा अपीलार्थीगण द्वारा कथित इकरारनामे को विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीवार निर्णय प्रदान किए है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हसतक्षेप किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यर्थी/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में एक दावा अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप रहन स्वतः ही समाप्त हों चुका है, ऐसी स्थिति में वादीगण, प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है, अतः प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावें। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीवार निर्णय प्रदान करते हुए प्रत्येक तनकी प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में निर्णित की है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद स्वीकार

करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। द्वितीय अपील का क्षैत्र अत्यन्त सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में उस समय तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वे अभिलेख के विपरीत न हों। वर्तमान अपील में हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः हम द्वितीय अपील को खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत समझते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य